कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, द्वितीय प्रकल्प खण्ड, उ0 प्र0 जल निगम, कानपुर

पत्र संख्या : 271 /एम – 06/ 02 दिनांक : 15–03–2017

निविदा सूचना

उ0 प्र0 जल निगम की ओर से अधोहस्ताक्षरी द्वारा जनपद कानपुर नगर के ग्रामीण क्षेत्रों में इण्डिया मार्क–।। नये हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन एवं हैण्डपम्पों की रिबोरिंग कार्य हेतु मुहरबन्द निविदायें पंजीकृत ठेकेदारों से दिनांक 10/04/2017 की अपरान्ह 03.00 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं, जो दिनांक 12/04/2017 को अपरान्ह 03.30 बजे जिलाधिकारी कार्यालय में उपस्थित निविदादाताओं अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेगीं।

कमाक	जनपद कानपुर नगर के ग्रामीण क्षेत्रों में इण्डिया मार्क–।। नये हैण्डपम्पों के अधिश्ठापन एव हैण्डपम्पों की रिबोरिंग का कार्य	कार्य की मात्रा	निविदा प्रपत्र का मूल्य	धरोहर धनराशि (रू0 में)	कार्य अवधि
1	घाटमपुर	100 नग	3000.00+वैट	20,000.00	06 माह
2	भीतरगांव	100 नग	3000.00+वैट	20,000.00	06 माह
3	सरसौल	100 नग	3000.00+वैट	20,000.00	06 माह
4	बिधनू	100 नग	3000.00+वैट	20,000.00	06 माह
5	पतारा	100 नग	3000.00+वैट	20,000.00	06 माह
6	कल्यानपुर	100 नग	3000.00+वैट	20,000.00	06 माह
7	शिवराजपुर	100 नग	3000.00+वैट	20,000.00	06 माह
8	बिल्हौर	100 नग	3000.00+वैट	20,000.00	06 माह
9	ककवन	100 नग	3000.00+वैट	20,000.00	06 माह

शर्तें :–

1. निविदायें कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, चतुर्दश मण्डल, उ0 प्र0 जल निगम, कानपुर, अधिशासी अभियन्ता, द्वितीय प्रकल्प खण्ड/द्वितीय निर्माण खण्ड/निर्माण खण्ड, उ0 प्र0 जल निगम, कानपुर/कानपुर देहात/कन्नौज से प्राप्त की जा सकेगी।

2. बिना धरोहर धनराशि व सशर्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा। धरोहर धनराशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा शिडयूल बैंक का फिक्स डिपाजिट, काल डिपाजिट अथवा एन0एस0सी0 के रूप में जो कि अधिशासी अभियन्ता, द्वितीय प्रकल्प खण्ड, उ0 प्र0 जल निगम कानपुर के नाम बन्धक कर निविदा के साथ संलग्न की जानी आवश्यक है।

3. निविदा जल निगम में हैण्डपम्प कार्यो के सी एवं डी श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों को ही निर्गत की जायेगी। निविदा क्रय के आवेदन के साथ उक्त कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र एवं पंजीकरण प्रमाण पत्र तथा टिन प्रमाण पत्र एवं पैन कार्ड की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा एवं अनुबन्ध की औपचारिकतायें पूर्ण करते समय उपरोक्त की मूल कापी अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

4 डाक से निविदा प्रपत्र मंगाने पर रू0 300/– का अतिरिक्त भुगतान करना होगा तथा प्रपत्र समय से न मिलने की स्थिति में विभाग उत्तरदायी नही होगा।

5. शेष नियम व शर्ते निविदा के अनुसार होगी। कार्य की विस्तृत जानकारी कार्यालय दिवस में किसी समय प्राप्त की जा सकती है।

6. निविदायें बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित है।

7. निविदाओं की बिक्री दिनांक 31/03/2017 से 07/04/2017 तक कार्यालय अवधि में की जायेगी।

8. अधिकतम 10 हैण्डपम्प की सामग्री एक बार में निर्गत की जायेगी जिसका कार्य को पूर्ण होने के उपरान्त ही अगली सामग्री निर्गत की जायेगी।

9. हैण्डपम्प कार्य तभी पूर्ण माना जायेगा, जब प्लेटफार्म एवं इम्बोसिंग आदि का कार्य पूर्ण हो गये हो। कार्य पूर्ण होने के उपरान्त ही भुगतान किया जायेगा।

10. दरें स्वीकृत होने के उपरान्त कार्य का विभाजन अन्य ठेकेदारो के मध्य कराया जा सकता है।

11. कार्य स्वीकृत होने पर न्यूनतम दर दाताओं को जमानती धनराशि के रूप में धरोहर धनराशि को सम्मिलित करते हुये रू0 3.00 लाख किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की एफ0डी0/बैंक गारन्टी अथवा एन0एस0सी0 के रूप में अधोहस्ताक्षरी के नाम बंधक हो, जमा करनी होगी।

12 उच्चाधिकारियों/विभिन्न जांच समितियों द्वारा समय–समय पर हैण्डपम्प कार्यो की गुणता की जांच की जाती है जिसे अनुबन्ध कर्ता द्वारा अपने व्यय पर कराना होगा। इन जांचों में गहराई नापने हेतु हैण्डपम्प के जी0 आई पाइप को पी0वी0सी0 लोरिंग से बाहर निकालना, जांच के बाद पुनः जी0आई पाइप सहित हैण्डपम्प का अधिष्ठापन प्लेटफार्म की जांच कराना अदि शामिल होगा।

13 कार्य पूर्ण होने के उपरान्त हैण्डपम्प का फोटोग्राफ, जिसमें हैण्डपम्प से पानी गिरता हुआ तथा प्लेटफार्म एवं ग्रह स्वामी (जिसके घर के पास हैण्डपम्प लगा है) शामिल हो, उक्त फोटोग्राफ भुगतान से पूर्व कार्यालय में जमा करना होगा जिसका अलग से भुगतान देय न होगा।

14 कार्य पूर्ण करने के उपरान्त इसके रख–रखाव की अवधि 01 वर्ष की होगी रख–रखखाव का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित ठेकेदार का होगा। यदि हैण्डपम्प की बोरिंग खराब हो जाती है तो ठेकेदार को पुनः अपने व्यय पर बोरिंग कराकर हैण्डपम्प चालू करवाना होगा। जमानती धनराशि 01 वर्ष के उपरान्त ही वापस की जायेगी।

15 कार्य की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई/बढाई जा सकती है।

16 हैण्डपम्प अधिष्ठापन की सूची के अनुसार ही कराये जायेंगे जो कि विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी।

17 टेण्डर स्वीकृत होने पर ठेकेदार को श्रम विभाग से पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।

(महेन्द्र कुमार)
अधिशासी अभियन्ता